न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 3/2006 अंतर्गत आवंटन नियम 1970 धारा 14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

शंभू सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी खेडली नारायणसिंह तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

2.अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 24.05.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.2000 को ग्राम खेडली नारायणसिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 614 रकबा 0.15 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, महवा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप केसरा द्वारा अप्रार्थी शंभू सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी खेडली नारायणसिंह तहसील महवा को दिनांक 09.06.2000 को ग्राम खेडली नारायणसिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 413/4 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि पर खडडे बने हुए है। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदारान ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर काश्त चालू नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमाये।

अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qurmer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 13:01:55 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर ...2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

हमने अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ होता हे कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप केसरा द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 09.06.200 को ग्राम खेडली नारायणसिंह स्थित भूमि खसरा नंबर 413/4 में से 0.50है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2058 से 2059 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। भूमि पर खडडे बने हुए है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.2000 को अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09.06. 2000 के द्वारा ग्राम खेडली नारायणसिंह तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 413/4 रकबा 0.50 है0 का अप्रार्थी शंभूसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर,दौसा
जिला कलक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 मई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 13:01:55 IST
Reason: SelfAttested